राजस्थान सरकार
आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग

क्रमांकः– प.15(97)आयो/सीएमएसी/2017 जयपुर, दिनांकः 20.03.2018

आज्ञा

प्रस्तावित कार्यक्रम Rajasthan Development Dialogue विषय पर कार्यशाला के अन्तर्गत राज्य मे संचालित विभिन्न विकासशील योजनाओं के कियान्वयन एवं उपलब्धियो के विवेचनात्मक विश्लेषण, अन्य अवसर और संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श एवं प्रचार प्रसार प्रयोजनार्थ राजकीय इन्फो सर्विसेस लिमिटेड जयपुर के पीडी A/C स. 592 में राशि 200.00 लाख रूपये (अक्षरे दो करोड़ रूपये मात्र) हस्तांतरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल की ओर से एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह राशि निम्नलिखित लेखा मद से प्रभार्य होगीः–

क्र.सं.	बजट मद(राज्य निधि)	राजकॉम्प को अग्रिम उपलब्ध कराने हेतु निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि (लाख रूपये में)
1.	3454–02–205–01–01–29 प्रशिशण, भ्रमण एवं सम्मेलन (राज्य निधि)	200.00

राशि का उपयोग निम्न शर्तो के अधिन किया जा सकेगा।

1. पीडी खाते से राशि का आहरण केवल वास्तविक आवश्यकता हेतु निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि की आवश्यकता नही होने की स्थिति में बैंक खातों में हस्तांरण करने हेतु आहरित नहीं की जा सकेगी।
2. राशि का व्यय करते समय योजना के दिशा–निर्देश एवं ततसंबंधी नियमों तथा लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
3. राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तांतरण के आदेश वित्त (बजट) विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जावेंगे।
4. यह स्वीकृति पत्रावली पर वित्त विभाग से प्राप्त सहमति आई डी संख्या 161800351 दिनांक 15.03.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग

क्रमांकः– प.15(97)आयो/सीएमएसी/2017 जयपुर, दिनांकः 20.03.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), प्रधान महालेखाकार कार्यालय राज., जयपुर।
2. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना , सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज. जयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि 200.00 लाख रूपये (अक्षरे दो करोड़ रूपये मात्र) राजकॉम्प के पीडी A/C स. 592 में हस्तांतरण की कार्यवाही कराने का कष्ट करावें।
6. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तो के अनुसार नियमानुसार राशि व्यय कर लेखा मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
7. कोषाधिकारी कोष कार्यालय सचिवालय, जयपुर।
8. ए.सी.पी., मुख्यालय को वेबसाइट पर डालने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव